

सूचना का अधिकार – 2005

कार्यालय सहायक निदेशक (खेल)
गढ़वाल मंडल पौड़ी गढ़वाल।

1.संगठन की विशिष्टियां कृत्य और कर्तव्य

उत्तरांचल राज्य में खेलों के उन्नयन तथा खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु मण्डलीय खेल कार्यालय की स्थापना वर्ष 1974 में की गयी। जनपद पौड़ी प्राकृतिक संसाधनों, अनुकूल जलवायु तथा भौगोलिक दृष्टि से खेलों के विकास हेतु अत्यन्त ही उपयोगी जनपद है। जनपद में खेलों के विकास हेतु बहुउद्देशीय क्रीड़ा हाल, बास्केटबाल कोर्ट, लानटेनिस कोर्ट एवं 25 खिलाड़ियों हेतु नव निर्मित भवन स्थित है। उच्च स्थलीय प्रशिक्षण हेतु रांसी स्टेडियम पौड़ी में स्थित है। उपरोक्त के अतिरिक्त जनपद पौड़ी की तहसील कोटद्वार में आवासीय बाक्सिंग छात्रावास स्थित है। जिसमें उत्तरांचल प्रदेश के बालक प्रशिक्षण प्राप्त कर अनेक राज्य एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदेश का नाम रोशन कर चुके हैं।

उद्देशीय – मण्डलीय खेल कार्यालय गढ़वाल मंडल का मुख्य उद्देश्य खेलों के प्रति युवा वर्ग को जोड़ना एवं इसके माध्यम से शक्ति का निर्माण करना, राज्य के जनमानस में खेल एवं शारीरिक क्षमता विकास का अवसर प्रदान करने हेतु योजनाओं को संचालन, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना एवं खेलों का प्रचार एवं प्रसार करना।

उपयोगिता— इस पुस्तिका में मण्डलीय खेल कार्यालय पौड़ी द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं जैसे— खिलाड़ियों हेतु प्रशिक्षण शिविर, प्रतियोगिता का आयोजन आदि का विवरण है यह पुस्तिका विशेष रूप से विभिन्न खेलकूद संघ, क्लब एवं खेल आयोजकों एवं खिलाड़ियों के लिये विशेष उपयोगी है।

इस पुस्तिका में खेलों से संबंधित शब्दावली जैसे— खेल प्रतियोगिताएं, खेल प्रशिक्षण शिविर, खेलों हेतु स्टेडियम निर्माण तथा सामान्य शब्दों का ही प्रयोग किया गया। इससे संबंधित विस्तृत जानकारी मंडलीय खेल कार्यालय पौड़ी गढ़वाल से प्राप्त की जा सकती है।

2. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्य –

सहायक निदेशक –

क्षेत्रीय स्तर पर 01 सहायक निदेशक पौडी हेतु पद सृजित है। सहायक निदेशक के मुख्य कार्य निम्नवत् हैं।

1. अपने जनपद एवं निदेशक द्वारा प्रशासनिक एवं विभागीय कार्यों के निरीक्षण एवं समीक्षा हेतु प्रदत्त जनपदों का दायित्व।
2. जिला क्रीड़ा अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा एवं दिशा निर्देश देना।
3. कार्यालय अध्यक्ष एवं आहरण-वितरण का कार्य।
4. विभिन्न अधिनस्थ जिलों की सूचना एकत्रित कर निदेशालय को प्रेषित करना।
5. अपने जनपद में विभागीय योजनाओं का संचालन।
6. विभिन्न जिलों की आवश्यकतानुसार जिला योजना के बजट प्रस्ताव में अधिनस्थ अधिकारियों को मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करना।
7. अधिनस्थ जनपदों में अनुपयोगी सामग्री निष्प्रोज्य घोषित करके निदेशालय को प्रस्तुत करना।
8. उच्च अधिकारियों द्वारा दिये गये आदेशों एवं निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना।

जिला क्रीड़ा अधिकारी-

1. जिले के खेल विभाग में आहरण-वितरण का कार्य एवं कार्यालयाध्यक्ष।
2. जिले स्तर पर विभिन्न खेल प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन एवं प्रभावी नियन्त्रण।
3. जिले में आयोजित राष्ट्रीय/राज्य प्रतियोगिताओं का आयोजन/सहयोग प्रदान करना।
4. खेल विशेषज्ञ के रूप में प्रशिक्षण प्रदान करना।
5. जिले के खेल प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन हेतु जिला योजना तैयार करना।
6. खेल कार्यालय/स्टेडियम मैदान/तरणताल/बहुउद्देशीय का निर्माण कार्य हेतु प्रस्ताव हेतु प्रस्ताव तैयार कर उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत करना साथ ही सृजित अवस्थापना सुविधाओं का रखरखाव एवं सुसज्जित करना।
7. खेलकूद प्रोत्साहन समिति का नामित सचिव के रूप में कार्य करना।
8. अपने अधीन उप क्रीड़ा अधिकारी/सहायक प्रशिक्षक/स्थानीय प्रशिक्षकों पर प्रभावी नियन्त्रण रखना।
9. विभाग द्वारा आयोजित राज्य/राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं/प्रशिक्षण शिविर में जिले के खिलाड़ियों को भेजना।
10. विभिन्न विभागों में आयोजित खेल प्रतियोगियों को सहयोग प्रदान करना।
11. वित्तीय एवं योजनाओं से संबंधित सूचनाओं का खेल निदेशालय को समय से प्रेषित करना।
12. स्टोर का नियमानुसार रखरखाव।

उपक्रीड़ा अधिकारी एवं प्रशिक्षक – खेल विभाग की मुख्य योजना उदीयमान खिलाड़ियों को चिन्हित कर तकनीकी रूप से प्रशिक्षण प्रदान करके उनकी योग्यता का पूरा दोहन करना। यह कार्य मुख्य रूप से उप क्रीड़ा अधिकारी एवं सहायक प्रशिक्षकों द्वारा किया जाता है। जिनके अन्य कार्य निम्नवत् हैं।

1. खेल विशेष में प्रशिक्षण प्रदान करना।
2. प्रशिक्षण के उपरान्त प्रतियोगिता हेतु खिलाड़ियों को भेजना।
3. प्रतियोगिता के आयोजन में जिला क्रीड़ा अधिकारी को सहयोग प्रदान करना।
4. छात्रावास के प्रशिक्षण के साथ ही वार्डन का पूर्ण जिम्मेदारी के साथ कार्य करना।
5. जिला क्रीड़ा अधिकारियों की अनुपस्थिति में जिले के खेल से सम्बन्धित सभी कार्य का निर्माण करना।
6. जिला क्रीड़ा अधिकारियों को अपने खेल से सम्बन्धित विकास हेतु अध्यावधि सुझाव देना।
7. खेल से सम्बन्धित मैदान, हाल, स्टेडियम, तरणताल का रखरखाव का कार्य।
8. कार्यालय से सम्बन्धित अन्य कार्य जो उच्चाधिकारियों द्वारा समय-समय पर दिये जायेंगे।

3. लोक प्राधिकारी अथवा उसके कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेखों की सूचना :-

खेल विभाग में वर्तमान में प्रयोग किये जाने वाली नियम, विनियम, अनुदेश से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख/पुस्तिकाएं हैं।

- 1- वित्तीय नियम संग्रह खण्ड -2 आधारभूत नियम के विवरण तथा वेतन, भत्तों अवकाश व सेवाओं से सम्बन्धित अन्य नियमों का विवरण।
- 2- वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 यात्रा भत्ता से सम्बन्धित नियम/विवरण।
- 3- वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-4 सेवानिवृत्ति के उपरान्त पेंशन से सम्बन्धित नियम/विवरण।
- 4- वित्तीय नियम संग्रह खण्ड -5 राजकीय वित्तीय संचालन की प्रक्रिया से सम्बन्धित तकनीकी अधिकारियों द्वारा लेखा रखरखाव से सम्बन्धित विवरण।
- 5- उत्तरांचल सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003।
- 6- उत्तरांचल लोक सेवा आयोग चयनों की प्रक्रिया नियमावली।
- 7- विभागीय योजनाओं के संचालन हेतु दिशा-निर्देश।
- 8- समय-समय जारी शासनादेशों की गार्ड फाईल।

4. नीति निर्धारण व कार्यान्वय के सम्बन्ध में जनता या जन प्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनायी गयी व्यवस्था का विवरण।

जनपद पौड़ी में विभिन्न खेलों के विकास एवं योजनाओं के सम्बन्ध में बैठकों का आयोजन तथा जनपद में जिला खेलकूद प्रोत्साहन समिति के गठन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में विशिष्ट खिलाड़ियों/खेल आयोजकों से विचार विमर्श किया गया। खेल विभाग का मन्तव्य है कि नीतिगत योजनाओं को साकार रूप देने से पूर्व खेल के क्षेत्र में जुड़ी संस्थाओं, खिलाड़ियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाय।

5. दस्तावेजों जो लोक प्राधिकारी द्वारा धारित या उसके नियन्त्रणाधीन है, प्रवर्गों के अनुसार विवरण –
खेल निदेशालय स्तर पर

क्र.सं.	दस्तावेज का नाम	दस्तावेज का परिचय	धारक/नियन्त्रणाधीन
1	2	3	4
1	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2	आधारभूत नियम के विवरण तथा वेतन, भत्तो, अवकाश व सेवाओं से संबंधित अन्य नियमों का विवरण।	खेल निदेशालय
2	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3	यात्रा भत्ता से संबंधित नियम/विवरण।	खेल निदेशालय
3	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-4	सेवा निवृत्ति के उपरान्त पेंशन से संबंधित नियम/विवरण।	खेल निदेशालय
4	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5	राजकीय वित्तीय संसाधन की प्रक्रिया से संबंधित तथा तकनीकी अधिकारियों द्वारा लेखा-रखरखाव से संबंधित विवरण।	खेल निदेशालय
5	उत्तरांचल सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2009	अनुशासन एवं अपील नियमावली	खेल निदेशालय
6	लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत तदर्थ नियुक्तियों की विनियमितीकरण नियमावली, 2001	तदर्थ नियुक्तियों के विनियमितीकरण के संबंध में	खेल निदेशालय
7	खेल विभाग के अधीन संचालित योजनाओं की पत्रावली	विभागीय योजनाओं हेतु दिशा-निर्देश	खेल निदेशालय
8	विभागीय सेवा नियमावली	सम्बर्ग के अनुसार कार्मिकों की सेवा नियमावली	खेल निदेशालय
9	दिन-प्रतिदिन प्रयोग होने वाले अभिलेख (फाईल, पंजी, कम्प्यूटर पर उपलब्ध अभिलेख, गार्ड फाईल कार्य का विवरण चार्ट)	दिन-प्रतिदिन प्रयोग होने वाले अभिलेख	खेल निदेशालय

क्षेत्रीय स्तर पर—

क्र.सं.	दस्तावेज का नाम	दस्तावेज का परिचय	धारक/नियन्त्रणाधीन
1	2	3	4
1	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड -2	आधारभूत नियम के विवरण तथा वेतन, भत्तो, अवकाश व सेवाओं से सम्बन्धित नियम/विवरण	सहायक निदेशक/जिला खेल कार्यालय
2	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड -3	यात्रा भत्ता से सम्बन्धित नियम/विवरण	सहायक निदेशक/जिला खेल कार्यालय
3	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड -4	सेवा निवृत्ति के उपरान्त पेंशन से सम्बन्धित नियम/विवरण	सहायक निदेशक/जिला खेल कार्यालय
4	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड -5	राजकीय वित्तीय संसाधन की प्रक्रिया से सम्बन्धित तथा तकनीकी अधिकारियों द्वारा लेखा-रखरखाव से सम्बन्धित विवरण।	सहायक निदेशक/जिला खेल कार्यालय
5	उत्तरांचल सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003	अनुशासन एवं अपील नियमावली	सहायक निदेशक/जिला खेल कार्यालय
6	विभागीय योजनाओं से सम्बन्धित जारी दिशा-निर्देश के प्रपत्र	विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश हेतु पत्र	सहायक निदेशक/जिला खेल कार्यालय
7	बजट आवंटन की पत्रावली	निदेशालय द्वारा जारी बजट आवंटन से सम्बन्धित पत्रावली	सहायक निदेशक/जिला खेल कार्यालय
8	दिन-प्रतिदिन प्रयोग होने वाले अभिलेख (फाईल, पंजी, कम्प्यूटर पर उपलब्ध अभिलेख, गार्ड फाईल, कार्य विवरण चार्ट)	दिन-प्रतिदिन प्रयोग होने वाले अभिलेख	सहायक निदेशक/जिला खेल कार्यालय

6. बोर्डों परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण, साथ ही विवरण कि क्या उन बोर्डों परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठक जनता के लिए खुली होगी या बैठकों के कार्यवृत्त एक जनता की पहुंच होगी।

खेल विभाग के अधीन परिषद/समितियां गठित नहीं है। खेलों के विकास एवं प्रोत्साहन हेतु समय-समय पर खेल संघों, खेल संस्थाओं, वरिष्ठ खिलाड़ियों एवं अन्य विभागों/ के साथ बैठक आयोजित कर विचार विमर्श किया जाता है।

7. लोक सूचना अधिकारियों के नाम/पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां –

मण्डलीय खेल कार्यालय पौड़ी गढ़वाल के लोक सूचना अधिकारी/पदनाम/अन्य विशिष्टियां

जिला स्तर पर

क्र.सं.	जिला	नाम	पद	लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी	फोन नं.
1	2	3	4	5	6
1	पौड़ी	श्री एस. के. सार्की श्री डी. सी. भट्ट	जिला क्रीड़ा अधिकारी, पौड़ी उप क्रीड़ा अधिकारी, कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)	लोक सूचना अधिकारी सहायक लोक सूचना अधिकारी	01368-222457 01382-228574

8. योजनाओं पर निर्णय लेने की प्रक्रिया

क्र. सं.	योजना का नाम	अग्रसारित करने वाले अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	स्वीकृति एवं अन्तिम निर्णय लेने का अधिकारी	लिये गये निर्णय को जनता तक पहुंचाने की व्यवस्था
1	2	3	4	5	6
1	भूतपूर्व खिलाड़ियों तथा पहलवानों को वित्तीय सहायता	सहायक निदेशक खेल / जिला क्रीड़ा अधिकारी	उप निदेशक / अपर निदेशक	निदेशक	सहायक निदेशक खेल / जिला क्रीड़ा अधिकारी
2	क्रीड़ा छात्रावास	—	अपर निदेशक / निदेशक	शासन (प्रशासकीय विभाग)	सहायक निदेशक खेल / जिला क्रीड़ा अधिकारी
3	विशिष्ट खिलाड़ियों को प्रदेशीय पुरस्कार	सहायक निदेशक खेल / जिला क्रीड़ा अधिकारी	अपर निदेशक / निदेशक	शासन द्वारा गठित समिति	खेल निदेशालय, उत्तरांचल, देहरादून।
4	राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार	सहायक निदेशक खेल / जिला क्रीड़ा अधिकारी	उप निदेशक / अपर निदेशक	निदेशक	खेल निदेशालय, उत्तरांचल, देहरादून।
5	राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाली प्रदेशीय टीम के खिलाड़ियों हेतु किट की व्यवस्था	प्रदेशीय क्रीड़ा संघ के सचिव / अध्यक्ष	उप निदेशक / निदेशक	निदेशक	खेल निदेशालय, उत्तरांचल, देहरादून।
6	प्रदेशीय क्रीड़ा संघों, क्लबों एवं अन्य क्रीड़ा संघों आदि को प्रतियोगिता के आयोजन करने एवं खेल उपकरण क्रय हेतु अनावर्तक अनुदान	सहायक निदेशक खेल / जिला क्रीड़ा अधिकारी	अपर निदेशक / निदेशक	शासन	खेल निदेशालय, उत्तरांचल, देहरादून।
7	अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं	—	निदेशक	शासन	खेल निदेशालय, उत्तरांचल, देहरादून।

8	प्रादेशीय क्रीड़ा संघों को आर्थिक सहायता	सहायक निदेशक खेल / जिला क्रीड़ा अधिकारी / सहायक निदेशक	उपनिदेशक / अपर निदेशक	शासन	खेल निदेशालय, उत्तरांचल, देहरादून।
9	प्रतियोगिताओं का आयोजन	सहायक निदेशक खेल / जिला क्रीड़ा अधिकारी जिला स्तर की प्रतियोगिता	उप निदेशक / अपर निदेशक (राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं)	निदेशक	खेल निदेशालय, उत्तरांचल, देहरादून।
10	प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन	सहायक निदेशक खेल / जिला क्रीड़ा अधिकारी (जिला स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन)	अपर निदेशक / निदेशक (राज्य स्तर / राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं)	निदेशक	खेल निदेशालय, उत्तरांचल, देहरादून।
11	अवस्थापना सुविधाओं का विकास	सहायक निदेशक खेल / जिला क्रीड़ा अधिकारी / सहायक निदेशक	उप निदेशक / अपर निदेशक / निदेशक	शासन स्तर पर	सहायक निदेशक खेल / जिला क्रीड़ा अधिकारी
12	नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को अनुदान	प्रधानाचार्य एन.आई.एम. उत्तरकाशी	—	शासन स्तर पर	प्रधानाचार्य, एन. आई. एम.
13	स्पोर्ट्स कालेज को अनुदान	प्रधानाचार्य, एम.पी.स्पोर्ट्स कालेज, देहरादून।	अपर निदेशक / निदेशक	शासन स्तर पर	एम.पी.स्पोर्ट्स कालेज, देहरादून।

9. अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका—

मण्डलीय खेल कार्यालय पौड़ी गढ़वाल।

पौड़ी

क्र. सं.	नाम	पदनाम	एस.टी. डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	श्री पी० एस० लुन्ठी	प्र० सहायक निदेशक, खेल	01368	222457				
2.	श्री एस० के० सार्की	जिला क्रीड़ा अधिकारी	01368	222457				
3	श्री देवेन्द्र चन्द्र भट्ट	उप क्रीड़ा अधिकारी, कोटद्वार	01382	228574	228574	—	—	स्टेडियम कोटद्वार
4	श्री आर. एस. रावत	सहायक प्रशिक्षक कोटद्वार	01382	228574	224780	—	—	रेनुकुंज पदमपुर सक्रो, कोटद्वार
5	श्री प्रजापति कुकरेती	लेखा लिपिक पौड़ी	01368	222457		—	—	राणा भवन श्रीनगर रोड़
6	श्री रविन्द्र कुमार यादव	कनिष्ठ सहायक पौड़ी	01368	222457		—	—	का. सहा.निदेशक, खेल पौड़ी
7	श्री सुरेन्द्र सिंह शाह	अनुसेवक	01368	222457		—	—	का. सहा. निदेशक, खेल पौड़ी
8	श्री अमर लाल	स्वच्छक	01368	222457		—	—	नामदेव वन विभाग कालोनी पौड़ी
9	श्री हेम चन्द्र आर्य	सहायक माली, कोटद्वार	01382	228574		—	—	स्टेडियम कोटद्वार

10. प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति

मण्डलीय खेल कार्यालय पौड़ी गढ़वाल।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक		परितोषिक / पारितोषिक भत्ता	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गयी हो।
			वेतनमान	कुल परिलब्धिया		
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री पी0एस0 लुन्ठी	प्र0 सहायक निदेशक, खेल	15600—39100	55929.00		शासन द्वारा निर्धारित संवर्गों के अनुसार वेतनमान
2	श्री एस0 के0 सार्की	जिला क्रीड़ा अधिकारी	9300—34800	43228.00		शासन द्वारा निर्धारित संवर्गों के अनुसार वेतनमान
3	श्री देवेन्द्र चन्द्र भट्ट	उप क्रीड़ा अधिकारी, कोटद्वार	9300—34800	32358.00	—	शासन द्वारा निर्धारित संवर्गों के अनुसार वेतनमान
4	श्री आर. एस. रावत	सहायक प्रशिक्षक कोटद्वार	5200—20200	29113.00	—	शासन द्वारा निर्धारित संवर्गों के अनुसार वेतनमान
5	श्री प्रजापति कुकरेती	लेखा लिपिक पौड़ी	5200—20200	22599.00	—	शासन द्वारा निर्धारित संवर्गों के अनुसार वेतनमान
6	श्री रविन्द्र कुमार यादव	कनिष्ठ सहायक पौड़ी	5200—20200	16319.00	—	शासन द्वारा निर्धारित संवर्गों के अनुसार वेतनमान
7	श्री सुरेन्द्र सिंह शाह	अनुसेवक	5200—20200	14478.00	—	शासन द्वारा निर्धारित संवर्गों के अनुसार वेतनमान
8	श्री अमर लाल	स्वच्छक	5200—20200	18584.00	—	शासन द्वारा निर्धारित संवर्गों के अनुसार वेतनमान
9	श्री हेम चन्द्र आर्य	सहायक माली, कोटद्वार	5200—20200	13668.00	—	शासन द्वारा निर्धारित संवर्गों के अनुसार वेतनमान

11-1- प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट (वर्ष 2012-2013)

(आयोजनेतर)
(धनराशि हजार रु. में)

क्र. सं.	मद	प्रस्तावित बजट	स्वीकृत बजट	शासन द्वारा प्रदत्त (किशतों में)	कुल व्यय
1	2	3	4	5	6
1	01-निर्देशन तथा प्रशासन (वेतन भत्ते इत्यादि)		—		
2	04-क्रीड़ा छात्रावास के आवासीय खिलाड़ियों पर व्यय		290000.00	29000.00	136177.00
3	05-क्रीड़ांगनों का विकास				
	29-अनुरक्षण		13000.00	13000.00	7600.00
	42-अन्य व्यय		13000.00	13000.00	—
4	14-प्रतियोगिताओं का आयोजन		—	—	—
5	15-प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन		42000.00	42000.00	41400.00
6	योग (निर्देशक प्रशासन योजनाएं)		358000.00	358000.00	185177.00

11-2-प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट (2012-2013)

आयोजनागत)

(धनराशि हजार रु. में)

क्र. सं.	2204-खेलकूद तथा सेवाएं-00-104-खेलकूद	प्रस्तावित बजट	स्वीकृत बजट	शासन द्वारा प्रदत्त (किशतों में)	कुल व्यय
1	2	3	4	5	6
1	16-स्थायी क्रीड़ा उपकरणों का क्रय				
2	91-जिला योजना				
3	9101-खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन (जिला सेक्टर)	1800000.00	1800000.00	288000.00	
4	9102- खेलकूद प्रशिक्षण शिविर	1200000.00	1200000.00	252000.00	
5	24-वृहद निर्माण	1000000.00	1000000.00	181000.00	
5	योग 91	4000000.00	4000000.00	721000.00	

11-3-प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट (वर्ष 2012-2013)

(आयोजनेतर)

अनुदान संख्या -11

2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएं

001-निदेशन तथा प्रशासन

03-खेलकूद निदेशालय

(धनराशि हजार रु. में)

क्र. सं.	मद	प्रस्तावित बजट	स्वीकृत बजट	शासन द्वारा प्रदत्त (किशतों में)	कुल व्यय
1	2	3	4	5	6
1	01-निदेशन तथा प्रशासन (वेतन भत्ते इत्यादि)		1252000.00	1252000.00	1060440.00
2	04-क्रीड़ा छात्रावास के आवासीय खिलाड़ियों पर व्यय				
3	05-क्रीड़ांगन का विकास 29-अनुरक्षण 42-अन्य व्यय				
4	महायोग 001-निदेशन तथा प्रशासन 104-खेलकूद योजनाएं		1252000.00	1252000.00	1060440.00

11-4-प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट (वर्ष 2012-2013)

(आयोजनागत)
(धनराशि हजार रु. में)

क्र. सं.	2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएं-00-	प्रस्तावित बजट	स्वीकृत बजट	शासन द्वारा प्रदत्त (किशतों में)	कुल व्यय
1	2	3	4	5	6
1	16-स्थायी क्रीड़ा उपकरणों का क्रय				
2	24-सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों हेतु				
3	91-जिला योजना				
4	9101-खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन (जिला सेक्टर)				
5	9102-खेलकूद प्रशिक्षण शिविर				
	योग 91				
	योग 104				

12. अनुदान/राज्य सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति

मण्डलीय खेल कार्यालय पौड़ी के अधीन/राज्य सहायता कार्यक्रमों का कोई प्रावधान नहीं है।

13. रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण :-

मण्डलीय खेल कार्यालय पौड़ी गढ़वाल द्वारा रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण का कोई प्राविधान नहीं है।

14. कृतों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम

प्रशिक्षण शिविर :- जनपद पौड़ी में विभिन्न खेलों के प्रशिक्षण शिविर प्रतिवर्ष समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजित किये जाते हैं। इन प्रशिक्षण शिविरों में 16 वर्ष से कम आयु के बालक/बालिकाओं को प्रवेश देकर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण शिविरों को विभागीय प्रशिक्षक एवं भारतीय खेल प्राधिकरण से तैनात प्रशिक्षक संचालित करते हैं। विभाग में प्रशिक्षकों की संख्या कम होने के कारण तदर्थ प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण शिविर संचालित किया जाता है जिनकी योग्यता निम्नवत् है -

तदर्थ प्रशिक्षकों की योग्यता एवं मानदेय की धनराशि प्रतिमाह-

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1. ओलम्पिक/विश्व कप प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया हो | — | रु. 14000.00 |
| 2. ऐसे प्रशिक्षक जिन्होंने एशियाई, कॉमनवेल्थ एवं एफ्रोएशियन प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया हो- | — | रु 12000.00 |
| 3. अन्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया हो- | — | रु 10000.00 |
| 4. ऐसे प्रशिक्षक जो एन. आई. एस. डिप्लोमाधारी हैं- | — | रु 7000.00 |

5. ऐसे प्रशिक्षक जो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं	—	रु. 5000.00
6. अन्तरविश्वविद्यालय स्तर के खिलाड़ी प्रशिक्षक	—	रु. 3000.00

जनपदीय खेल प्रशिक्षण :- जनपद पौड़ी के अन्तर्गत निम्न स्थानों में वर्तमान में निम्न खेलों के प्रशिक्षण शिविर संचालित किये जा रहे हैं।

1.	फुटबाल	(पौड़ी)
2.	बैडमिन्टन	(पौड़ी)
3.	टेबिल टेनिस	(पौड़ी)
4.	बास्केटबाल	(पौड़ी)
5.	क्रिकेट	(पौड़ी)
6.	वालीबाल	(पौड़ी)
7.	फुटबाल	(कोटद्वार)
8.	बालीबाल	(कोटद्वार)
9.	क्रिकेट	(कोटद्वार)
10.	हाकी	(कोटद्वार)
11.	एथलेटिक्स	(कोटद्वार)
12.	बैडमिन्टन	(श्रीनगर)
13.	एथलेटिक्स	(श्रीनगर)
14.	जूडो	(श्रीनगर)

प्रतियोगिताओं का आयोजन :- जनपद स्तरीय प्रतियोगिताएं जूनियर सब जूनियर बालक एवं बालिकाओं के जनपद के विद्यालयों, क्लबों एवं स्टेडियम की टीमों की प्रतियोगिताएं आयोजिताएं आयोजित की जाती है जिनको विभाग द्वारा प्रत्येक जनपदीय प्रतियोगिता हेतु निम्न प्रकार व्यय किया जाता है।

1. भोजन भत्ता प्रति खिलाड़ी प्रतिदिन	—	रु.	150.00
2. टीम के खिलाड़ियों/आफिशियल को आने जाने का किराया	—	रु.	वास्तविकता के आधार पर
3. आवासीय सुविधा(प्रति खि०/आफिशियल/निर्णायक प्रतिदिन	—	रु.	100.00
4. उपकरण पर व्यय—	—	रु०	2000.00
5. पुरस्कार पर व्यय (खिलाड़ियों हेतु)	—	रु०	10000.00
6. उद्घाटन एवं समापन पर व्यय	—	रु०	5000.00
7. विविध व्यय	—	रु०	3000.00
8. आनुसांगिक व्यय(प्रति खिलाड़ी/आफिशियल/निर्णायक) (प्रतियोगिता की पूर्ण अवधि हेतु)	—	रु०	100.00
9. पुरस्कार (निर्णायकों हेतु)	—	रु०	3000.00

राष्ट्रीय पर्वों पर आधारित जनपद स्तरीय प्रतियोगिताएं— राष्ट्रीय पर्व स्वतन्त्रता दिवस, गांधी जयंती, गणतन्त्र दिवस के अवसर पर 15 अगस्त, 02 अक्टूबर एवं 26 जनवरी एवं 09 नवम्बर राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर स्थानीय स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है।

राज्य स्तरीय आमंत्रण प्रतियोगिताएं :- इन प्रतियोगिताओं में आयु सीमा निर्धारित नहीं होगी। राज्य की अच्छी टीमों को इन प्रतियोगिताओं में आमंत्रित किया जायेगा। इन प्रतियोगिताओं पर होने वाला व्यय भी प्रदेशीय क्रीडा संघों के समन्वय से आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के समान होगा।

इन प्रतियोगिताओं पर होने वाला व्यय के नाम से निम्न प्रकार है :-

1. टीम के खिलाड़ियों एवं कोच व मैनेजर को आने जाने का किराया	—	वास्तविकता के आधार पर
2. अनुसांगिक व्यय	—	रु. 100.00 प्रति खिलाड़ी की दर से
3. भोजन भत्ता	—	रु. 150.00 प्रति खिलाड़ी प्रति दिन की दर से
4. आवासीय सुविधा	—	रु. 100.00 प्रति खिलाड़ी/आफिसियल की प्रतिदिन
5. खेल उपकरण	—	रु. 2000.00
6. उद्घाटन/समापन पर व्यय (शामियाना, कुर्सी सौफा आदि)	—	रु. 5000.00
7. विविध व्यय (फोटोग्राफी, मार्क, जलपान तथा अन्य व्यय सम्मिलित हैं)	—	रु. 7000.00
8. पुरस्कार पर व्यय	—	(क) प्रथम पुरस्कार रु. 500.00
	—	(ख) द्वितीय पुरस्कार रु. 400.00
	—	(ग) तृतीय पुरस्कार रु. 300.00
9. निर्धारित निर्णायकों हेतु पुरस्कार	—	रु. 500.00
10. निर्णायक को आने-जाने का किराया	—	वास्तविकता के आधार पर
11. निर्णायकों को आफिसियेटिंग चार्ज(प्रति निर्णायक/प्रतिदिन)	—	रु. 200.00 प्रतिदिन निर्णायक

जिला स्तरीय विशेष प्रशिक्षण शिविरों पर होने वाला व्यय निम्न प्रकार हैं-

1-	भोजन भत्ता (प्रति खिलाड़ी / प्रशिक्षक प्रतिदिन)	—	रु0 150.00
2-	टीम के खिलाड़ियों / प्रशिक्षकों को आने-जाने का किराया वास्तविकता के आधार पर	—	
3-	आवासीय सुविधा(प्रति खि0 / प्रशिक्षक प्रतिदिन)	—	रु0 100.00
4-	उपकरण पर व्यय	—	रु0 2000.00
5-	खेल किट पर व्यय(प्रति खिलाड़ी / प्रशिक्षक) (ट्रैकसूट,वार्मअप शूज, मौजा एवं खेल के अनुरूप किट)	—	रु0 1000.00
6-	उद्घाटन एवं समापन पर व्यय	—	रु0 1500.00
7-	आनुसांगिक व्यय(प्रति खि0 / आफिशियल / निर्णायक) (प्रतियोगिता की पूर्ण अवधि हेतु)	—	रु0 100.00
8-	विविध व्यय	—	रु0 1000.00
9-	प्रशिक्षण शिविर के संचालन हेतु नियुक्त विभागीय प्रशिक्षक से इतर प्रशिक्षक का मानदेय	—	रु0 3000.00
10-	प्रशिक्षण शिविर हेतु अधिकतम खिलाड़ियों की संख्या	—	25
11-	प्रशिक्षण शिविर हेतु प्रशिक्षक की संख्या	—	01

राज्य स्तरीय विशेष प्रशिक्षण शिविर—

1— भोजन भत्ता (प्रति खिलाड़ी / प्रशिक्षक प्रतिदिन)	—	रु0 150.00
2— टीम के खिलाड़ियों / प्रशिक्षकों को आने—जाने का किराया वास्तविकता के आधार पर	—	
3— आवासीय सुविधा(प्रति खि0 / प्रशिक्षक प्रतिदिन)	—	रु0 100.00
4— उपकरण पर व्यय	—	रु0 2000.00
5— खेल किट पर व्यय (प्रति खिलाड़ी / प्रशिक्षक) (ट्रैकसूट,वार्मअप शूज, मौजा एवं खेल के अनुरूप किट)	—	रु0 1000.00
6— उद्घाटन एवं समापन पर व्यय	—	रु0 1500.00
7— आनुसांगिक व्यय(प्रति खि0 / आफिशियल / निर्णायक)	—	रु0 100.00
8— विविध व्यय	—	रु0 1000.00
9— प्रशिक्षण शिविर के संचालन हेतु नियुक्त विभागीय प्रशिक्षक से इतर प्रशिक्षक का मानदेय	—	रु0 3000.00
10— प्रशिक्षण शिविर हेतु अधिकतम खिलाड़ियों की संख्या	—	25
11— प्रशिक्षण शिविर हेतु प्रशिक्षक की संख्या	—	01

महिला खेल समारोह— भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा महिला राष्ट्रीय खेल समारोह का आयोजन विभिन्न ग्रुपों में कराया जाता है। इस समारोह में भाग लेने वाले विभिन्न प्रदेशों की महिला टीमों को आयोजित किया जाता है। निम्न खेलों में राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं।

क्र. सं.	खेल का नाम
1. तैराकी	7. कबड्डी
2. बैडमिन्टन	8. बालीबाल
3. टेबिल टेनिस	9. बास्केटबाल
4. लान टेनिस	10. जिम्नास्टिक
5. एथलेटिक्स	11. हाकी
6. हैण्डबाल	12. खो-खो

इन जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं पर होने वाला व्यय बजट उपलब्धता के आधार पर अन्य जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं की तरह होगा।

आवासीय क्रीड़ा छात्रावास में खिलाड़ियों पर व्यय— आवासीय छात्रावास के बालक/बालिकाओं को विभाग द्वारा आवासीय सुविधा, चिकित्सा भोजन एवं खेल उपकरण आदि की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराता है। इन खिलाड़ियों पर प्रतिवर्ष प्रति बालक 35000.00 रु. व्यय होता है। जनपद पौड़ी की तहसील कोटद्वार में आवासीय बाक्सिंग छात्रावास स्थित है।

15. किसी इलैक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचना के संबंध में ब्योरे :- मण्डलीय खेल कार्यालय पौड़ी में वर्तमान में फ़ैक्स सुविधा उपलब्ध है जिसका नम्बर 01368-222457 है।

16. सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण-

1. मण्डलीय खेल कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर।
2. समाचार पत्रों के माध्यम से।
3. पत्राचार के माध्यम से।
4. बहुउद्देशीय क्रीड़ा हाल के नोटिस बोर्ड।

17- ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाएं- शून्य।